FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम बायतु

सायब खाँ बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 111,128 एल.आर.एक्ट नं. 107/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-3-21	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री रुगनाराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111,128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.05.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/05/2021	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इन्तजार होकर दिनांक 06/07/2021 को पेश हो।	
06/07/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण के नोटिस तामील मय तामील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 08/10/2021 को पेश हो। //	

न्याया
क्रमांक / वाद / 2022 / 67
प्रार्थी
1. सायब खां पुत्र मो...
जाति मुस...

08/10/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगणों के नाम तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 ड्यूटी में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 25/02/2022 को पेश हो।

25/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लगा-लग आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी मेड व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 67 दिनांकः– 25/2/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सायब खां पुत्र मोहम्मद खां जाति मुसलमान, निवासी सिंधियों की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. राजी पत्नी दाना खां वगैरा 17 जाति मुसलमान, निवासी सिंधियों की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 107 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – सिंधियों की ढाणी, पटवार मण्डल –बायतु भीमजी, तहसील – बायतु के खेत खसरा नं. 437 / 245, 440 / 245 रकबा क्रमशः 1.9012, 0.4692 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 68–72 दिनांकः– 25/2/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री सायब खां पुत्र मोहम्मद खां
4 विप्रार्थी श्रीमती राजी पत्नी दाना खां वगैरा 17
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी **बायतु**